रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2018/चैत्र 13, 1940
No. 210] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2018/CHAITRA 13, 1940

IndiaCode

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

**सा.का.नि. 331(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8, धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम 01 सितंबर, 2018 को प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में : -

(क) नियम 5 में, -

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) रोटेशन अवधि के दौरान, विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के दो चित्र होंगे, जो बारह मास की अंतराल अवधि के साथ पैकेज पर क्रमानुसार प्रकाशित किए जाएंगे" ।

(ii) उप-नियम (3) के, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

परन्तु विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के दूसरे चित्र (चित्र 2) के प्रभावी होने की तारीख, पहले चित्र (चित्र-1) के प्रारंभ होने की तारीख से बारह मास के पूरे होने के पश्चात् विनिर्मित या आयातित सभी तम्बाकू उत्पादों पर लागू होगी।

(iii) उप-नियम (4) का लोप किया जाएगा।

(ख) अनुसूची में –

(1) पैरा-1 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्-

(i) लिखित स्वास्थ्य चेतावनी: धुएं और धुआं रहित तम्बाकू उत्पादों के लिए '**तम्बाकू से कैंसर होता है**' शब्द और '**तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है**' शब्द लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के फोंट में प्रकाशित किए जाएंगे, और '**आज ही छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356**' शब्द काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के फोंट में प्रकाशित किए जाएंगे। लिखित स्वास्थ्य चेतावनी की पृष्ठभूमि में रंग की सघनता निम्नानुसार होगी:- सफेद: सी: 0%, एम: 0%, वाई: 0%, के: 0%, लाल: सी : 0%, एम : 100%, वाई 100%, के: 0%, और काला: सी: 0%, एम: 0%, वाई: 0%, के: 100%,। लिखित स्वास्थ्य चेतावनी चार रंगों के साथ और न्यूनतम 300 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) के प्रिंटिंग के रसोल्यूशन के साथ मुद्रित की जाएगी। स्वास्थ्य चेतावनी के फोंट की प्रकृति एवं रंग वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर अपलोड की गई फोंट प्रकृति एवं रंग के समान होंगे।

(ii) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

**"2 निर्दिष्ट** स्वास्थ्य चेतावनी में

(क) चित्र-1, जो इसके जारी होने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

**चित्र-1**




IndiaCode

(ख) चित्र-2, चित्र-1 की निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के जारी होने की तारीख से बारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगा।

**चित्र-2**




[सं. पी-16011/02/2017-टीसी]

विकास शील, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड-3, उप-खंड (i) में तारीख 15 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग– II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 283(अ), तारीख 26 मार्च, 2018 द्वारा उनमें अंतिम बार संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Department of Health and Family Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd April, 2018

**G.S.R. 331(E)**.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, section 8, sub-section (2) of section 9, section 10 and section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:-

**1.** (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Second Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 2018.

**2.** In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008,-

(a) in rule 5, -

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) During the rotation period, there shall be two images of specified health warning which shall appear consecutively on the package with an interregnum period of twelve months.";

(ii) in sub-rule (3), for proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the date of coming into effect of the second image (image 2) of specified health warning, shall be for all tobacco products manufactured or imported after the completion of twelve months from the date of commencement of first image (image 1).";

(iii) sub-rule (4) shall be omitted.

(b) in the Schedule,-

(i) in paragraph 1, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

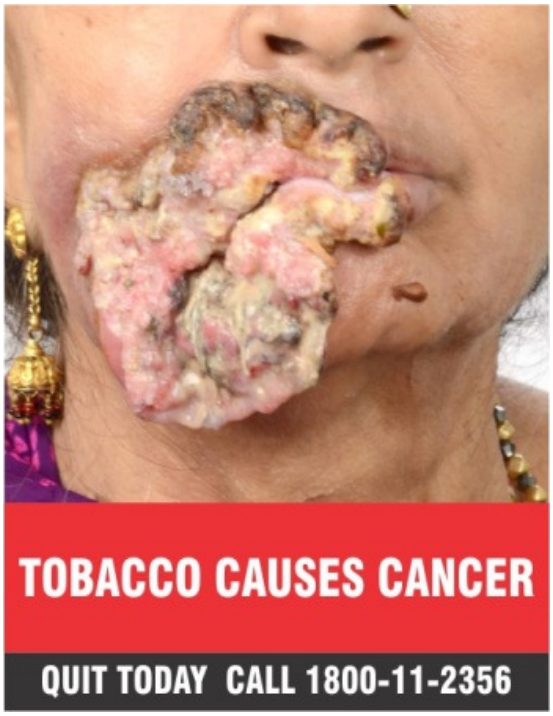
'(i) Textual Health Warning.- For smoking and smokeless forms of tobacco products, the word "TOBACCO CAUSES CANCER" and the word "TOBACCO CAUSES PAINFUL DEATH" shall appear in white font colour on a red background and the words "QUIT TODAY CALL 1800-11-2356" shall appear in white font colour on a black background. The intensity of color in the background of the textual health warning shall be: White: C:0%, M:0%, Y:0% K:0%, Red: C:0%, M:100%, Y:100% K: 0% and Black: C:0%, M:0%, Y:0% K: 100%. The textual health warnings shall be printed with four colors with printing resolution of minimum 300 DPI (Dots per inch). The font type and colour of the health warning shall be exactly as uploaded on the web site www.mohfw.gov.in';

(ii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"2. The specified health warnings shall be-

(a) Image-1, which shall be valid for a period of twelve months following its commencement.

**Image- 1**



(b) Image-2, which shall come into effect following the end of twelve months from the date of commencement of specified health warning of Image-1.

**Image- 2**




[No. P 16011/02/2017-TC]
VIKAS SHEEL, Jt. Secy.

**Note.** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 182 (E), dated the 15th March, 2008 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 283 (E), dated the 26th March, 2018.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.03 22:16:54 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.